राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2374/2008/कोटा
2. अपील संख्या – 2375/2008/कोटा

मैसर्स चम्बल फर्टीलाईजर्स एण्ड केमिकल्स लि.,
गढिपान, जिला–कोटा। ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–कोटा। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता ....विभाग की ओर से
श्री एम.एल.पाटौदी, अधिवक्ता ....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिन्हें आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) एवं राजस्थान क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश अधिनियम'** कहा जायेगा) तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, कोटा (जिन्हें आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये आरोपित कर को यथावत रखा गया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		विवादित कर राशि
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष	
1.	2374/08	4/ई.टी./2006–07/माल पर प्रवेश कर	20.10.08	28.03.06	2002–03	69,487
2.	2375/08	3/ई.टी./2007–08/माल पर प्रवेश कर	20.10.08	15.03.07	2003–04	68,039

4. उपरोक्त दोनों अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आईटम्स, एयर कन्डीशनर पर 4 प्रतिशत से प्रवेश कर एवं ऑयल ट्रांसफर, एस.एस. प्लेट पर 1 प्रतिशत से कर तथा ईटीएल विलम्ब से प्रस्तुत करने कारण शास्ति का आरोपण किया गया है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित इन आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति राशि को अपास्त करते हुए कर को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं

लगातार.............................2

सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आईटम्स, एयर कन्डीशनर एवं ऑयल ट्रांसफर, एस.एस. प्लेट के आयात पर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के (2007) 19 Tax Up-Date page 64 मैसर्स लक्ष्मी सीमेन्ट बनाम सरकार व अन्य के निर्णय दिनांक 12.09.2007 में प्रवेश कर को असंवैधानिक नहीं ठहराया गया है। अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट एवं त्रुटिरहित है, एवं प्रस्तुत अपीलों में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है।

8. फलतः अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत ये दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है

निर्णय सुनाया गया।

२१/8/12

(मदनलाल मालवीय)

सदस्य